न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

महेश गोयल पुत्र श्री अमृत लाल गोयल, जाति- अग्रवाल,
निवासी- अमृत कुँज, अक्षय कॉलोनी, मांचगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही
(मालिक एवं खाद्य काराबारकर्ता)
फर्म:- अमृत लाल अशोक कुमार अग्रवाल, टैक्सी बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू

प्रकरण संख्या: 21/2019

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी अभियुक्त महेश गोयल

-: निर्णय :- दिनांक 18 नवम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 22.4.2018 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म अमृत लाल अशोक कुमार अग्रवाल, टैक्सी बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर पँहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति महेश गोयल पुत्र श्री अमृत लाल गोयल, जाति- अग्रवाल, निवासी- अमृत कुँज, अक्षय कॉलोनी, मांचगांव, माउन्ट आबू है एवं फर्म अमृत लाल अशोक कुमार अग्रवाल, टैक्सी बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू में मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता को खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की व दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) की 500-500 एम.एल. की 28 पैक्ड प्लास्टिक बोतलों में से रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) 500-500 एम.एल. की 4 पैक्ड बोतलें खरीदी एवं उसकी कीमत रुपये 200/- अदा की व खरीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना

.....पेज दो पर

खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-789 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता महेश गोयल ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.4.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 22.4.2018 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता महेश गोयल से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) का नमूना S-789 अमानक (Sub-standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता महेश गोयल को भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत करे, लेकिन सोहन राम ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु

....पेज तीन पर

अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। इस प्रकरण में अभियुक्त ने अमानक पनीर का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18.11.2019 को प्रतिवादी महेश गोयल इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि दिनांक 22.4.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (विभोर) का नमूना जांच हेतु लिया गया था, जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। वह मुझे सेल्स परमोशन स्कीम के तहत बिक्री हेतु प्राप्त हुआ था उसका बिल मेरे पास में नही है। भविष्य में बिल सहित माल खरीद बेचान करुंगा। यह मेरी प्रथम गलती है। भविष्य में दुबार गलती नही करुंगा।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी महेश गोयल द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 18.11.2019 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान परिवाद में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी सोहन राम ने उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.4.2018 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म अमृत लाल अशोक कुमार अग्रवाल, टैक्सी बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म अमृत लाल अशोक कुमार अग्रवाल, टैक्सी बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से महेश गोयल पुत्र श्री अमृत लाल गोयल, जाति- अग्रवाल, निवासी- अमृत कुँज, अक्षय कॉलोनी, मांचगांव, माउन्ट आबू उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म अमृत लाल अशोक कुमार अग्रवाल, टैक्सी बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) के अमानक का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी- वेराविलपुर, तहसील- शिवगंज, जिला-

.....पेज चार पर

सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता महेश गोयल राम को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म/दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) की 500-500 एम.एल. की 28 पैक्ड प्लास्टिक बोतलों में से खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) की 500-500 एम.एल. की 4 पैक्ड बोतले खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 200/- (अक्षरे रुपये दो सौ मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता महेश गोयल को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता महेश गोयल एवं उक्त गवाह तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-789, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता महेश गोयल एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-789 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता महेश गोयल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता महेश गोयल व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म अमृत लाल अशोक कुमार अग्रवाल, टैक्सी बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला-सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता महेश गोयल से खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) को नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी कियाा। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.4.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द

....पेज पांच पर

लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.4.2018 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-789 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./308/Act/2018/327 दिनांक 02.5.2018 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अमृत लाल अशोक कुमार अग्रवाल, टैक्सी बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता महेश गोयल से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) होना पाया गया है। यह भी उललेखनीय है कि प्रतिवादी महेश गोयल ने उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) की खरीद के संबंध में बिल न तो आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया है एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी महेश गोयल ने अमानक खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (विभोर ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त महेश गोयल पुत्र श्री अमृत लाल गोयल, जाति- अग्रवाल, निवासी- अमृत कुंज, अक्षय कॉलोनी, मांचगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अमृत लाल अशोक कुमार अग्रवाल, टैक्सी बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 11,000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी महेश गोयल पुत्र श्री अमृत लाल गोयल, जाति- अग्रवाल, निवासी- अमृत कुंज, अक्षय कॉलोनी, मांचगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.20 13:17:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: